अंबेडकर सेतु : गुणवत्ता में खामियाँ, हुई सख्त कार्रवाई

दो अधिकारी निलंबित, सीई ब्रिज और कार्यपालन यंत्री को नोटिस, निर्माण कंपनी पर अर्थदंड के निर्देश

भोपाल (काप्र)।

लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने आज गणेश मंदिर से गायत्री मंदिर तक नव निर्मित डॉ. भीमराव अंबेडकर फ्लायओवर का निरीक्षण किया।

इस दौरान उनके साथ विभाग के प्रमुख अभियंता, सेतु मंडल के वरिष्ठ अधिकारी तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भोपाल के क्षेत्रीय अधिकारी (मुख्य अभियंता) श्रवण कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। यह महत्वाकांक्षी परियोजना हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पित की गई थी। निरीक्षण के दौरान यातायात सुविधा, सुरक्षा साधनों तथा नवनिर्मित एलिवेटेड ब्रिज का गहन निरीक्षण किया गया। नवनिर्मित ब्रिज की गुणवत्ता को लेकर उठाए जा रहे सवालों को देखते हुए निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल ने पाया कि एलिवेटेड कॉरिडोर के दोनों ओर क्रैश बैरियर और मुख्य केरिज-वे के बीच की लगभग 18 इंच चौड़ी पटरी की गुणवत्ता अपेक्षित स्तर की नहीं है। इस पटरी को मुख्य स्लैब से जोड़ने के कार्य में कमी देखी गई, जिसके कारण कई स्थानों पर मुख्य स्लैब और पटरी के जोड़ों में क्षरण के चिन्ह दिखाई दिए।

तकनीकी अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान बताया कि करीब 3 किलोमीटर लंबे 4 लेन के इस एलिवेटेड कॉरिडोर की डिजाइन, सुरक्षा और स्ट्रक्चरल गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है, लेकिन राइडिंग सरफेस की गुणवत्ता और फिनिशिंग संतोषजनक नहीं पाई गई। विशेष रूप से दो स्थानों पर जहां एक्सपेंशन जॉइंट लगाए गए हैं, वहां अधिक क्षरण पाया गया। निरीक्षण दल को बताया गया कि मुख्य केरिज-वे का निर्माण पेवर मशीन से किया गया था, लेकिन किनारे की 18 इंच की पटरी को मैन्युअल रूप से भरा गया था, क्योंकि वहां मशीन चलाना संभव नहीं था।

गुणवत्ता में खामियों को देखते हुए लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग के उपयंत्री उमाकांत मिश्रा और प्रभारी सहायक यंत्री रवि शुक्ला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये दोनों अधिकारी परियोजना के प्रभारी थे और इनकी तकनीकी निरीक्षण में लापरवाही सामने आई है। इसके अलावा, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग भोपाल के कार्यपालन यंत्री जावेद शकील और सीई ब्रिज को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। श्री मंडलोई ने निर्माणकर्ता कंपनी और अनुबंधकर्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने निर्माण कंपनी पर अनुबंधानुसार अर्थदंड लगाने तथा सभी सुधारात्मक कार्य अपने व्यय पर कराने का आदेश दिया है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी श्रवण कुमार सिंह द्वारा निरीक्षण के दौरान तकनीकी सुझाव दिए गए। उनके अनुसार, ब्रिज में मौजूद डिजाइन गैप्स में सीलेंट लगाने तथा राइडिंग सरफेस को उच्च गुणवत्ता का बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने इस पूरी कार्रवाई की समीक्षा की और स्पष्ट किया कि विभाग के कार्यों की गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सर्वोत्तम आचरण बने जिला सहकारी बैंक की पहचानः विश्वास सारंग

भोपाल(काप्र)। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सर्वोत्तम आचरण जिला सहकारी बैंक की पहचान बने। उसके अच्छे कार्यों की मार्केटिंग की जाये। हर बैंक के कर्मचारियों की आचरण और व्यवहार की ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई जाये।

उन्होंने कहा कि नवाचार और अच्छा काम करने के लिये बैंक के हर स्तर पर प्रतिस्पर्धा हो तथा साल के अंत में उत्कृष्ट कर्मी को सम्मानित भी किया जाये। श्री सारंग शनिवार को समन्वय भवन में जिला सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों को अपनी साख के लिये काम करना होगा। उसमें पारदर्शिता लानी होगी और सुनिश्चित करना होगा कि बैंक में डिपॉजिट पूरी तरह से सुरक्षित है। बैंक को वसूली आदि नियमित कार्य के साथ सुदृढ़ीकरण पर ध्यान देना होगा। डिपॉजिट, टर्म लोन, सेफ लोन देने के मामलों काम करना होगा। उन्होंने कहा कि बैंक के कर्मचारियों का कार्य-व्यवहार, संवाद और बैंक का माहौल सकारात्मक हो। काम को चैलेन्ज के रूप में लें। कमजोर बैंकों को अच्छे पर लाने और अच्छे को कमजोर न होने की दिशा में काम कर आगे बढ़ना होगा।

प्रोफेशनल एप्रोच के साथ करें कामः श्री सारंग ने कहा कि डिफाल्ट किसानों के बारे में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाये ताकि वे लोन चुकाने के लिये उन्हें मोटिवेट कर सकें। कलेक्टर के साथ राजस्व अमले से भी संवाद स्थापित करे, जिससे कोआर्डिनेशन और कोआपरेशन के जरिए सहकारी बैंक से सरकारी अमला भी जुड़ सकें। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि बैंक प्रोफेशनल एप्रोच के साथ काम करे। हरेक पेक्स 2-3 कर्मियों की ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई जाये। उन्होंने कहा कि 2-3 माह में वसूली के प्रकरणों का निराकरण करे। इसके लिये लम्बी प्रक्रिया न हो, काम को स्पीड-अप करें। श्री सारंग ने कहा कि कमजोर पेक्स के उन्नयन एवं उत्थान के लिये काम किया जाये। वर्गीकरण कर उसे मजबूत बनाया जाये। प्रत्येक पंचायत में पेक्स हो, नई पेक्स को बहुउद्देशीय बनाया जाये। सहकारिता से जुड़े विभागों का सहयोग लिया जाये। उन्होंने कहा कि नई सोसायटी के लिये फेडरेशन भी बनाया जा रहा है।

अपर मुख्य सचिव सहकारिता अशोक बर्णवाल ने कहा कि कृषि विकास को अगले स्तर पर ले जाने के लिये सहकारी बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिये पेक्स को मजबूत कर बिजनेस बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। पेक्स को मल्टीपर्पस बनाया जाना होगा। बिजनेस अवसर के डेवलपमेंट प्लान डिजाइन करने होंगे। माइक्रो एटीएम का उपयोग बढ़ाया जाना होगा। सहकारी बैंक अपनी सर्विसेस बढ़ाये जिससे आसान ट्रॉजेक्शन से ग्राहकों को सुविधा हो। आयुक्त सहकारिता व पंजीयक मनोज पुष्प ने बैठक के उद्देश्यों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि बैठक हर माह होती है और डिस्ट्रिक लेवल की मॉनिटरिंग के साथ क्रेडिट मूवमेंट पर भी ध्यान दिया जाता है। अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक मनोज गुप्ता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष पर सहकारिता मंत्री की मंशानुरूप प्रत्येक पंचायत को समिति का सदस्य बनायें एवं सहकार-सभा का हर पंचायत में आयोजन कर जनप्रतिनिधियों को इनमें आमंत्रित कर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाये। इससे अधिक से अधिक लोगों का सहकारी बैंकों से जुड़ाव होगा और केंद्र शासन का सहकार से समृद्धि का संकल्प भी क्रियान्वित होगा।

उप सचिव सहकारिता मनोज सिन्हा ने कहा कि पैक्स से वही किसान खाद ले सकेगा जो सदस्य होगा। उप महाप्रबंधक आर.एस.चंदेल ने माइक्रो एटीएम के उपयोग पर प्रकाश डाला। चार्टर्ड एकाउंटेंट श्री अमूल्य रांहणेकर ने रिजर्व बैंक और नाबार्ड की गाइड लाइन के तहत अपेक्स बैंक, जिला बैंक व समितियों की वित्तीय कार्यप्रणाली में सावधानी रखने के लिये विभिन्न तकनीकी जानकारी पर मार्गदर्शन दिया। बैठक का संचालन उप महाप्रबंधक केटी सज्जन एवं प्रबंधक करुण यादव ने किया।

रीवा को मिली व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की सौगात

जैव विविधता संरक्षण एवं पर्यटन को मिलेगा बढ़ावाः शुक्ल

भोपाल(काप्र)। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने गोविंदगढ़, रीवा में प्रस्तावित व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर को मिली मंजूरी पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने केन्द्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।

श्री शुक्ल ने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के विजन के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना न केवल बाघों की संख्या को बढ़ाने में सहायक होगी बल्कि पर्यटन को भी प्रोत्साहन देगी। यह पहल बाघ संरक्षण और प्रकृति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करेगी। श्री शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जैव विविधता के संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा और पर्यटन के विकास के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गोविंदगढ़, रीवा में प्रस्तावित व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर को मिली मंजूरी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि मध्यप्रदेश वन्य-जीव संरक्षण के क्षेत्र में आदर्श राज्य बने। श्री शुक्ल ने कहा कि गोविंदगढ़ में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना से व्हाइट टाइगर की सुरक्षा और संख्या में वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी। केन्द्र राज्य में वन्य-जीव पर्यटन को भी नई दिशा देगा। मध्यप्रदेश बाघों की संख्या में भी अग्रणी है और इस पहल से राज्य की इस प्रतिष्ठा को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर के माध्यम से स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। देश-विदेश से पर्यटकों को आकर्षित कर रीवा और सतना क्षेत्र को पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान मिलेगी।

महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी और चिड़ियाघर, मुकुंदपुर, सतना के संशोधित मास्टर (ले-आउट) प्लान के तहत गोविंदगढ़, रीवा में सेटेलाइट फैसिलिटी के रूप में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना के प्रस्ताव को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति द्वारा तकनीकी समिति की अनुशंसा पर स्वीकृति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति 9 एवं 17 दिसंबर, 2024 को आयोजित विशेषज्ञ समिति की 114वीं बैठक और 19 दिसंबर, 2024 को तकनीकी समिति की 112वीं बैठक के निर्णय के अनुक्रम में प्रदान की गई है।

बसंत पंचमी पर प्राथमिक शाला सेमरी खुर्द में माँ सरस्वती की प्रतिमा का अनावरण

भोपाल (काप्र)।

कोई छह माह पूर्व शासकीय प्राथमिक शाला के शिक्षक राकेश पटेल ने संकल्प लिया था कि शासकीय प्राथमिक शाला को एक शिक्षक तीर्थशाला बनाऊंगा एवं क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति किसान उद्योगपति जनप्रतिनिधि शिक्षक साथी इत्यादि लोगों से मिलकर शाला को एक सुंदर शाला बनाऊंगा। आज लोगों द्वारा दिए गए सहयोग से शासकीय प्राथमिक शाला एक सुंदर शाला बन गई है शाला के लिए टेबल,कुर्सी, कंप्यूटर, फोटोकॉपी मशीन, बच्चों को खेलने के लिए फिसल पट्‌टी पीने के पानी के लिए वाटर कूलर, मां सरस्वती का गान करने के लिए हारमोनियकम, शाला परिसर में पेवर ब्लॉक, बच्चों के लिए ताजी साग सब्जी के लिए बागवानी-ग्राउंड में पेड़ पौधे, उलाले के लिए लाइट इत्यादि व्यवस्था की गई है। शाला को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी आश्रम में आ गए हैं। इस शिक्षण तीर्थ सेमरी खुर्द में बसंत पंचमी के दिन 3 फरवरी को एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है। इस दिन क्षेत्र के विधायक मुख्य अतिथि रामेश्वर शर्मा द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। विशेष अतिथि के रूप में संजीव अग्रवाल सेज यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहेंगे एवं विशेष अतिथि छात्रबीर सिंह राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ तथा जिला शिक्षा अधिकारी ए.के. अहिरवार और जिला परियोजना समन्वयक ओपी शर्मा एसडीएम हुजूर व विकासखंड स्रोत समन्वयक श्रीमती रूपाली रिछारिया उपस्थित रहेंगी। इस अवसर पर भोजन भंडारा भी रखा गया है।

बंटी-बबली ने फायनेंस कंपनी की आड़ में सैकड़ों व्यापारियों को लगाई चपत

भोपाल(काप्र)।

अशोका गार्डन थाना इलाके में मध्य भारत फायनेंस नाम से कंपनी चलाने वाले दंपती ने अनेक व्यापारियों को लाखो की चपत लगा दी और चंपत हो गए। पुलिस के अनुसार कारोबारी फरियादी हरिओम पाटीदार पिता राजमल पाटीदार (45) ने अपनी शिकायत में बताया की वह करोंद में रहते हैं, और अशोका गार्डन में व्यवसाय करते हैं। अस्सी फीट रोड पर मध्य भारत फायनेंस कंपनी का संचालन करने वाले शहजाद खान और उसकी पत्नी सीमा खान द्वारा डेली डायरी पर एंट्री कर कलेक्शन किया जाता था। छोटे व्यापारी रोजाना इन्हें और इनके एजेंट को डायरी में एंट्री कर पैसै देते थे। बीते दिनों जानकारी लगी कि शहजाद और सीमा ने अपना मोबाइल नंबर बंद करने के साथ ही आफिस भी बंद कर भाग गए हैं। सूत्रो के अनुसार आरोपी दंपती करीब तीन सौ से अधिक छोटे व्यापारियों से डेली कलेक्शन के किसी को दो लाख तो किसी किसी का ढाई लाख रुपए लेकर फरार हुए है। इसके बाद धोखाधड़ी का शिकार व्यापारी अशोका गार्डन थाने पहुंचे। पुलिस ने आरोपी दंपती के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत सहित अन्य धाराओ में मामला कायम कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। शातिर दंपत्ति के भागने की जानकारी फैलते ही डेढ़ दर्जन से अधिक पीड़ित पुलिस के पास पहुंच चुके है, और यह संख्या बढ़ती जा रही है।

महापौर ने शीतलदास की बगिया एवं घाट का निरीक्षण कर दिए निर्देश

भोपाल (काप्र)। महापौर श्रीमती मालती राय ने शीतलदास की बगिया में किये जा रहे मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण कार्य का जायजा लिया और कहा कि घाटों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है।

महापौर ने शीतलदास की बगिया परिसर में बेहतर साफ-सफाई कराने, खुली भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न होने देने, खुली भूमि को समतल कर व्यवस्थित करने, मुख्य द्वार के पास से आवागमन में बाधक अवैध गुमठी हटाने, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम तैयार करने तथा सौंदर्यीकरण हेतु दीवारों पर सुन्दर पेंटिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्धमान पार्क का निरीक्षण किया और पार्क के अंदर से टीन की चादरों का छप्पर हटाने, पार्क के पुराने गेट को हटाकर शीतलदास की बगिया परिसर में लगाने तथा पार्क की बाउण्ड्री वॉल के पास कार्नर पर रखा अनावष्यक सामान हटाकर सौन्दर्यीकरण कार्य कराने के निर्देश दिए। श्रीमती राय ने शनिवार को शीतलदास की बगिया एवं वर्धमान पार्क का निरीक्षण किया व निर्देशित किया कि परिसर की खुली भूमि का समतलीकरण कराकर भूमि को व्यवस्थित करें जिससे यहां किसी प्रकार का अतिक्रमण/कब्जा न हो। उन्होंने धार्मिक पर्वों के दौरान घाट पर आने वाली महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाने के निर्देश दिए। महापौर श्रीमती राय ने सौंदर्यीकरण हेतु दीवारों पर सुन्दर पेंटिंग कराने के निर्देष दिए। महापौर ने घाट पर सुरक्षा की दृष्टि से रैलिंग लगाने एवं रैम्प बनाने के निर्देष दिए। मुख्य द्वार के पास से आवागमन में बाधक अवैध गुमठी हटाने के निर्देष दिए। महापौर श्रीमती राय ने बोट संचालकों को भी समझाईष दी कि वे अपने बोट इस प्रकार खड़े करें जिससे घाट की सीढ़ियां एवं टाइल्स क्षतिग्रस्त न हों। महापौर ने वर्धमान पार्क का भी निरीक्षण किया।

भाजपा नेत्री के यहां तेज आवाज में बज रहा था डीजे एसडीम ने किया जप्त

भोपाल(काप्र)। नेहरू नगर पहाड़ी क्षेत्र में एक महिला बीजेपी नेता के यहां मेहंदी रस्म के दौरान तेज आवाज में डीजे पर गाने बजाये जा रहे थे। इस दौरान एसडीएम अर्चना शर्मा मौके पर पहुंच गई और डीजे जब्त कर लिया। मामला शुक्रवार देर रात का है। तेज आवाज में डीजे बजने की शिकायत मिलने पर एसडीएम टीम के साथ मौके पर पहुंचीं। एसडीएम ने कहा कि हैं, तेज आवाज और देर रात तक डीजे न बजाने के लिये कलेक्टर साहब के स्पष्ट निर्देश है, इसके बाद भी तेज आवाज में डीजे क्यों बजाया जा रहा हैं। घर से एक महिला उनके पास आई और कहा कि मैं विधायक भगवानदास सबनानी की कार्यकर्ता आशा वाल्मिकी हु और मंडल महामंत्री भी हूं। इस पर एसडीएम ने कहा, जब आपको पता था, कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजना चाहिए तब क्यों बजाया। इसके बाद डीजे जब्त कर लिया गया। गौरतलब है कि बोर्ड परीक्षा के चलते कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने स्टूडेटंस की पढ़ाई में किसी तरह की परेशान उत्पन्न न हो इसके लिये हाल ही में लाउडस्पीकर और डीजे को लेकर आदेश जारी किए थे। इसके बाद फ्लाइंग स्क्वॉड बनाकर सभी एसडीएम कार्रवाई के लिए मैदान में उतरे। अब तक 90 से अधिक लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं।

स्मार्ट मीटर के लिए चुकाने होंगे 25 हजार

भोपाल (काप्र)।

मप्र में लग रहे स्मार्ट मीटर की कीमत भले अभी नहीं चुकानी पड़ रही है, लेकिन अगले 10 साल तक स्मार्ट मीटर के नाम पर किस्त जमा करनी पड़ सकती है। यह दावा आपत्तिकर्ता एडवोकेट राजेंद्र अग्रवाल ने किया है। मौजूदा बिजली कंपनी की सत्यापन याचिका में दर्ज आंकड़ों को देखकर उन्होंने मप्र विद्युत नियामक आयोग में आपत्ति दी है। उनका दावा है कि तीन तरह के टैरिफ मिलाकर एक मीटर में करीब 10 साल में तक उपभोक्ता करीब 25 हजार रुपये देने होंगे। उन्होंने बताया कि पावर मैनेजमेंट कंपनी ने अभी तक स्मार्ट मीटर के दाम नहीं तय किए हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को हर साल बिजली टैरिफ के माध्यम से स्मार्ट मीटर की कीमत अदा करनी होगी। यह एक तरह से किश्त होगी। मीटर के रखरखाव के नाम पर भी राशि स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी को देनी होगी। आपत्तिकर्ता ने बताया कि पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की सत्यापन याचिका में बताया कि 2.49 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इसके लिए कंपनी ने 1770 रुपये प्रति मीटर प्रारंभिक के 44 करोड़ की मांग की है। इसके अलावा लीज शुल्क के 48 करोड़ खर्च होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी पांच प्रतिशत ही स्मार्ट मीटर लगे हैं। अभी पूरी तरह से मीटर लगे भी नहीं हैं और पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 175 करोड़ रुपये की मांग कर दी है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने तीन हजार रुपये प्रति मीटर के अलावा 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ 123 करोड़ रुपये की मांग की है। पश्चिम क्षेत्र में भी करीब ढाई लाख मीटर वित्तीय वर्ष 2023-24 में लग पाए थे।

कार्यालय राजस्व निरीक्षक नजूल वृत्त एम.पी.नगर भोपाल

(7 नम्बर बस स्टॉप शिवाजी नगर भोपाल)

कमांक /रा.नि.वृ./....... ../2023-24 भोपाल दिनांक............

सूचना-पत्र

प्रति, नाम-1. गीता यादव पत्नी एस.एस यादव मो 9179335370, 2. करमजीत कौर पत्नी श्री रघुपाल सिह, दिलीप गुप्ता, अंजना सक्सेना पत्नी संजय सक्सेना

विषय:- भूमि का सीमांकन किये जाने वावत्।

संदर्भ:- प्रकरण क्रमांक. 0158/अ-12/24-25 के पालन में ।

विषयांकित संदर्भित के संबंध में आवेदक श्रीमती करमजीत कौर, अंजना सक्सेना पिता/पति रघुपाल सिंह, संजय सक्सेना निवासी-पटेल नगर रायसेन रोड़ द्वारा ग्राम खजूरीकलां की भूमि खसरा क्र. 460/11 रकबा 0.117 का सीमांकन हेतु आवेदन किया है। उपरोक्त भूमि का सीमांकन दिनांक 7.2.2025 को समय 2 बजे विषयांकित संदर्भित आदेश के पालन में किया जाना है। आपको आवेदक एव पड़ोसी भूमि स्वामी होने के कारण सूचित किया जाता है कि नियत तिथि एवं समय पर मौके पर उपस्थित रहे। आपकी अनुपस्थिति की दशा में सीमांकन कार्यवाही स्थगित नहीं की जावेगी। **नोट**: अपरिहार्य कार्य की दशा में सीमांकन की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है ।

राजस्व निरीक्षक
नजूल वृत्त, एम.पी. नगर
जिला-भोपाल

3419

In The Court of X Civil Judge Class-I, District Court, Bhopal
Presiding Officer: शरद जायसवाल

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)

(RCS A/0000196/2020)

हितेश चन्दनानी.......... **वादी VS**
वेन्सीमल चन्दनानी.... **प्रतिवादी**

Process ID/2025
पेशी दि.:10/03/2025

प्रेषिती-1. (1) वेन्सीमल चन्दनानी पिता स्व. लालचंद चन्दनानी पत्ता- ई.2 डी सेक्टर साई बाबा रेसीडेंसी कैलाश नगर सीटीओ बैरागढ़ भोपाल म.प्र. 462030, (2) अशोक कुमार चन्दनानी पिता वेन्सीमल चन्दनानी पता- ई-2 डी सेक्टर सांई बाबा रेसीडेंसी कैलाश नगर सीटीओ बैरागढ़ भोपाल म.प्र.,यह कि प्रार्थी हितेश चन्दनानी ने आपके विरूद्ध वाद वास्ते घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु, के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 28 January 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है। **कृपया ध्यान दे**: यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जाएगा।

सील

शरद जायसवाल
दसम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड भोपाल (म.प्र.)

3420

कार्यालय राजस्व निरीक्षक कोलार तहसील कोलार जिला भोपाल (म.प्र.)
सूचनापत्र (वास्ते सीमांकन)

क्रमांक.... भोपाल दिनांक 24/01/2025

प्रति ,(1)श्री राम शंकर सिंह पिता श्री महावीर सिंह निवासी भोपाल (2) श्री वाई. पी. सिंह पिता राम प्यारे निवासी सीधी मध्यप्रदेश (3) डॉ उदमभान सिंह परिहार पिता श्री शम्भूप्रताप परिहार, (4) श्री पंकज मोहन पिता सुरेन्द्र प्रसाद सिंह निवासी शिवपुरी (5)श्री डी.पी पाटीदार पिता स्व. कुअर जी पाटीदार नि. मिसरोद (6) तरुण गुप्ता पिता, एम.डी. गुप्ता, निवासी भोपाल (7) प्रटखर गुप्ता पिता, ओ. पी. गुप्ता निवासी कोलार भोपाल (8) अन्जू ठाकुर पत्नी बी.के. ठाकुर निवासी शहडोल (9) वंदना यादव पत्नी पी.के. यादव निवासी रायपुर सर्व साधारण को सूचनार्थ एवं अन्य पडोसीगण विषय:- सीमांकन किये जाने बावत् सूचना पत्र संदर्भ :-न्यायालय तहसीलदार, तहसील कोलार जिला भोपाल के रा.प्र.क्र. ..... / अ-12/ दिनांक 25/12/2024 के संबंध में। उपरोक्त विषयांतर्गत ग्राम मिसरोद प.ह.न. रा.वि.मं. तहसील कोलार जिला भोपाल की भूमि खसरा 79/10/2/4, 79/10/2/1 /, 79/10/2/1, 79/10/2/2,रकबा 0.204 हेक्टेयनर कुल रकबा हेक्टेयर जो कि आवेदक/आवेदिका राम शंकर सिंह पिता महावीर सिंह,उदय भान परिहार, पंकज, मोहन, वाईपी सिह पिता राम प्यारे के नाम से है, का सीमांकन संदर्शित प्रकरण में राजस्व निरीक्षक कोलार, तहसील-कोलार, जिला भोपाल द्वारा दिनांक 3/02/25 को समय 9: 0 0 किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस हेतु आप लोग मौके पर सीमांकन के समय उपस्थित रहे। यदि सूचना पर तामीली उपरांत आप लोग अनुपस्थित रहते है तो सीमांकन कार्य आपकी अनुपस्थिति की दशा में स्थगित नहीं किया जावेगा । अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में सीमांकन की दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। पड़ोसी भूमिस्वामी के पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वयं के व्यय पर उक्त सूचना पत्र का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में करा सकता है।

राजस्व निरीक्षक
तहसील कोलार जिला-भोपाल (म.प्र.)

3421

नाम परिवर्तन सूचना

सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम RAJPAL SINGH THAKUR था। जो मेरी हाईस्कूल की मार्कशीट में अंकित है। किंतु अब मैंने अपना नाम बदलकर RAJPAL THAKUR कर लिया है। मैं अब RAJPAL THAKUR S/O PARWAT SINGH THAKUR से जाना/पहचाना जाता हूं।

ADDRESS : : LIG-301, A Sector, Ayodhaya ByPass Road, Near Water Tank, Rajeev Nagar, Ayodhaya Nagar, Bhopal (M.P.) - 462041

3426

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है पूर्व में मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम शैख सुलेमान हसन शैख हसन (SHAIKH SULEMAN HASAN SHAIKH HASAN) था, जो गलत था मेरा सही नाम शैख सुलेमान हसन (SHAIKH SULEMAN HASAN S/O SHAIKH HASAN) शैख सुलेमान हसन आ. श्री शैख हसन से मुझे इसी नाम से जाना वा पहचाना जाएगा।

Address 29 BARKATULLAH COLONY NEW SHAENSHAH GARDEN GOVINDPURA BHOPAL 462023

3425

// विशेष सूचना //

कुंदन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल राजस्व के संबंध में।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार अदयक्ष, कुंदन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल पंजीयन कमांक डीआरबी/526 दिनांक 07.02.1989 के निर्देशानुसार संस्था के सभी सम्माननीय भूखण्डधारी सदस्यों/रहवासियों को सूचित किया जाता है कि वह अपने भूखण्ड के क्षेत्रफल अनुसार अपने क्षेत्र के तहसील कार्यालय में बकाया राजस्व राशि जमा करावें और अपने स्वामित्व का दस्तावेज राजस्व विभाग से प्राप्त करें। भविष्य में संस्था राजस्व विभाग में कोई राशि जमा करने के लिये उत्तरदायी नहीं रहेगी।

शोभा दुबे अधिवक्ता
ए-47, शास्त्री नगर भोपाल (म.प्र.)
मो.नं.-8839361599

3423

// विशेष सूचना //

कुंदन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल ईडब्ल्यूएस के संबंध में।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार अदयक्ष, कुंदन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल पंजीयन कमांक डीआरबी/526 दिनांक 07.02.1989 के निर्देशानुसार संस्था के सभी सम्माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि जिन सदस्यों को भूखण्ड प्राप्त नही हो सके हैं, ऐसे सदस्य कमजोर आय वर्ग भूमि में निर्मित ईडब्ल्यूएस फ्लेट को लेने के इच्छुक हों तो वह संस्था में सम्पर्क कर 15 फरवरी 2025 तक फ्लेट की कीमत की 30 प्रतिशत तक राशि संस्था में जमा करा दें जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके। जो सदस्य पैसा जमा नहीं कराऐंगे उनकी पात्रता प्रतिबंधित कर दी जाएगी। सभी सदस्य अवगत हों एवं अपने नवीन पते से अवगत करावें।

शोभा दुबे अधिवक्ता
ए-47, शास्त्री नगर भोपाल (म.प्र.)
मो.नं.-8839361599

3422

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
क्रमांक 8201/ राजस्व/भोविप्रा /24
भोपाल, दि.28.01.2025
सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि प्राधिकरण की राजाभोज गोंदरमऊ चरण-2, आपसी करार योजना में स्थित भूखण्ड क्रमांक-146 सेक्टर-ए, श्री खलील उर रहमान दुर्रानी आ श्री इनाम उर रहमान एवं श्रीमती गजाला मरयम के संयुक्त नाम पर अंकित है। संयुक्त आवंटी में से श्री खलील उर रहमान दुर्रानी आ. श्री इनाम उर रहमान का स्वर्गवास दिनांक 23.10.2020 को हो जाने पर उनके वारिसगण 1-श्रीमती हबीबा दुर्रानी पत्नि स्व. श्री खलील उर रहमान दुर्रानी 2-श्री रिजवान उर रहमान आ.स्व. श्री खलील उर रहमान दुर्रानी 3-श्रीमती गजाला मरियम पुत्री खलील उर रहमान दुर्रानी 4-श्रीमती नाएला दुर्रानी पुत्री खलील उर रहमान दुर्रानी 5-(आवंटी) श्रीमती खदिजा सदफ पुत्री खलील उर रहमान दुर्रानी के द्वारा प्राधिकरण में उक्त भूखण्ड संयुक्त नाम से नाम अद्यतन नही कराते हुए वारिसगण द्वारा उक्त भूखण्ड से अपना हकत्याग कर श्री सैफ उर रहमान आ. स्व. श्री खलील उर रहमान दुर्रानी के पक्ष में दिनांक 20.08.2024 को हकत्याग विलेख पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत कराया गया। आवेदक श्री सैफ उर रहमान आ. स्व. श्री खलील उर रहमान दुर्रानी द्वारा आवेदन पत्र, के साथ मृत्यु प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड पंजीकृत हकत्याग विलेख उक्त भूखण्ड का नाम अद्यतन अपने नाम पर चाहाँ गया है। उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अन्दर लिखित एवं साक्ष्य/दस्तावेजों के साथ इस कार्यालय को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। उक्त समयावधि के पश्चात कोई भी दावा/आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा ।

राजस्व अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

3397

कार्यालय : रजिस्ट्रीकरण कुंजन नगर आवासीय रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, जिला-भोपाल

[illegible]

सूचना

संस्था के समस्त सम्माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन साधारण सम्मेलन/विशेष साधारण सम्मेलन में सम्पन्न होना है। अतः संस्था की सदस्यता सूची का प्रकाशन संस्था के नोटिस बोर्ड, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल, विकासखण्ड फंदा एवं भोपाल सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, शाखा हबीबगंज दूध डेयरी, भोपाल के सूचना पटल पर दिनांक 20/01/2025 को किया गया है। यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 20/01/2025 से 27/01/2025 तक कार्यालयीन दिवस में मुझे कार्यालय- उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में दोपहर 12 से 02 बजे तक सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं तथा प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण कार्यालय- उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में दिनांक 29/01/2025 को दोपहर 12.00 बजे से किया जायेगा। सूचना संस्था के समस्त सदस्यों को स्पीड पोस्ट / साधारण डाक द्वारा पृथक से प्रेषित की गई है।

(सुप्रिया जैन)
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
कुंजन नगर आवासीय रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, जिला-भोपाल

3423